# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 47/2021
निर्णय दिनांक :– 16.01.2025
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामू पुत्र श्री मूल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. गणेश पुत्र सुवा
2. ग्यारसी लाल पुत्र केसरा
3. नाथूलाल पुत्र केसरा
4. पप्पू लाल पुत्र मोती
5. फूला देवी पुत्री मोती
6. मोहनलाल पुत्र मोती
7. रामू पुत्र धन्ना
8. रामवतार पुत्र मोती
9. रामप्यारी देवी पत्नि मोती
10. रामलाल पुत्र मांगू
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना
12. शंकरलाल पुत्र मोती
13. सोहन देवी पुत्री मोती
14. हनुमान पुत्र मांगू
15. हीरा पुत्र धन्ना
    समस्त जातियान कुम्हार समस्त निवासीयान ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
16. अशोक कुमार मोर्य पुत्र गोपाल लाल मोर्य जाति रैगर निवासी– 131 कल्याण नगर, रामपुरा रोड, हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
17. रामस्वरूप पुत्र भूरा जाति नाई निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
18. प्रशान्त पुत्र श्री अनिरूद्ध सिंह जाति राजपूत निवासी– सा.म.न. 42 सोफा तहसील खेर जिला अलीगढ उत्तरप्रदेश।
19. छीतर पुत्र भोमा जाति कुम्हार निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।,
20. मदन पुत्र सूज्या
21. रमेश पुत्र सूज्या समस्त जातियान कुम्हार समस्त निवासीयान ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
22. छीतर पुत्र काना जाति बैरवा निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
23. आलम शेर पुत्र फकीर खां
24. ईसाक पुत्र फकीर खां
25. मोहम्मद यूसूफ पुत्र फकीर खां

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

26. यासीन पुत्र फकीर खां
    समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
27. सम्पत पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
28. प्रहलाद पुत्र रायचन्द जाति जाट निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
29. गणेश नारायण पुत्र श्रवण लाल जाति जाट निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
30. प्रभूलाल पुत्र रतनलाल
31. प्रहलाद पुत्र रतनलाल
32. बंशीलाल पुत्र रतनलाल
33. रतनलाल पुत्र गोपी
34. सायर पुत्री रतनलाल
35. सोनेरी पत्नि रामस्वरूप समस्त जाति कुम्हार समस्त निवासीयान ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।
36. श्रीमान तहसीलदार महोदय फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री भवानी शंकर शर्मा वकील प्रार्थी
श्री सीताराम सैनी वकील अप्रार्थी 18
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 36

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने

निर्णय दिनांक :– **16.01.2025**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 392 के आराजी खसरा नं. 106/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नं. 107/1 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, खसरा नं. 594/2 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खसरा नं. 598 रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि जो वाके ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का भोजपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी भूमि है जिसका लगान प्रार्थी अदा कर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त खातेदारी के लगवा खसरा नं. 108/1, 109, 106/3, 105/2, 105/1, 106/2, 107/3, 317/2, 107/2, 591, 600, 1018/599, 595, 594/1, 599, 603, 597/1, 597/2 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का दिनांक 26.06.2021 को सीमाज्ञान करवाया जा चूका है

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

अप्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा उक्त प्रार्थी की आराजीयात में नहीं रहा है मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी अपनी आराजी के पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी की आराजी की ठोस सीमा कायम हो सके एवं चारो और डोल लगाकर अपनी आराजी को कायम कर काश्त कर सके।मुंताबिक सीमाज्ञान दिनांक 26.06. 2021 के अनुसार प्रार्थी अपनी आराजी में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है हॉल ही में दिनांक 01.09.2021 को अप्रार्थीगण सीमाज्ञान से आगे बढ़कर प्रार्थी की आराजी भूमि में कब्जा करने पर आमादा हो गये और आये दिन प्रार्थी की आराजी की सीमा को लेकर लडाई झगडा करते रहते है अप्रार्थीगण पुख्ता पत्थरगढी नहीं होने की बात को कहकर प्रार्थी की आराजी भूमि में अवैध कब्जा करने की झ कोशिश कर रहे है व मुताबिक सीमाज्ञान के प्रार्थी को अपनी आराजी भूमि में डोल नहीं लगाने दे रहे है एवं जबरन प्रार्थी की खातेदारी आराजी को अपनी–अपनी आराजी बताकर कब्जा करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी की आराजी की सीमाज्ञान होने के पश्चात कायम किये गये स्थानो पर अप्रार्थीगण को अपनी सीमा होना प्रार्थी ने जाहिर किया तो अप्रार्थीगण सीमाज्ञान होने से ही इन्कार करने लगे एवं प्रार्थी को पुख्ता सीमा कायम करने से मना कर दिया इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र किये जाने पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2021 की जानकारी अप्रार्थीगण को भली भांति रही है दौराने सीमाज्ञान अप्रार्थीगण उपस्थित थे जिनके समक्ष राजस्व कार कानूनगो कर्मचारियो ने खसरा नं. 101, 100, 110/1 के तिमेडे से जरीब चलाकर खसरा नं. 106/1 की उत्तरी पश्चिमी मेर को कायम किया गया उक्त मेर का खसरा नं. 110/1, 109 व 101 के तिगड्डे से टकराया गया उक्त कायम कोने से खसरा नं. 106/1 की दक्षिणी पश्चिमी मेर का कायम किया गया उक्त कायम कोने से खसरा नं. 106/1 के अन्य कोनो को कायम किया गया इसके पश्चात खसरा नं. 107/1 की दक्षिणी पश्चिमी मेर को खसरा नं. 108/2, कायम मेर को खसरा नं. 100, 106/2 की मेर को कायम किया गया उक्त 101, 110/1 के तिमेडे से टकराया गया एवं कायम कोने से खसरा नं. 107/1 के दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी पूर्वी कोने को कायम किया गया इसी प्रकार इसी दिनांक 26.06.2021 को खसरा नं.601, 599 व 602 के तिगड्डे से जरीब चलाकर खसरा नं. 598 का उत्तरी पूर्वी कोना कायम कर उक्त कोने को खसरा नं. 604 चाह के निशानात से टकराया गया उक्त कायम कोने से जरीब चलाकर खसरा नं. 598 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया गया इसके पश्चात खसरा नं. 601, 599, 602 के तिगड्डे से जरीब चलाकर खसरा नं. 598 का उत्तरी पश्चिमी कोना कायम किया गया उक्त कोने से खसरा नं. 604 चाह से टकराया गया उक्त कायम कोने से 598 से समस्त कोने कायम किये गये इसके पश्चात् खसरा नं. 601, 599, 602 के तिगड्डे से खसरा नं. 594/2 का उत्तरी पूर्वी कोना

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

कायम किया गया उक्त कोने को खसरा नं. 604 गै. मु. चाह से टकराया गया व खसरा नं. 598 के उत्तरी पश्चिमी कायम कोने से जरीब चलाकर खसरा नं. 594/2 के दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया गया उक्त कायम कोने से खसरा नं. 594/2 के अन्य समस्त कोने कायम किये गये। इसी अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पुख्ता पत्थरगढी सीमाज्ञान अनुसार करवाना चाहता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे और ना ही कोई विवाद उत्पन्न हो। मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी अपनी आराजी की सीमा कायम कर चूका था जिसे हटाकर अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी मे अपनी आराजी होना कहकर आये दिन प्रार्थी को हैरान परेशान करते है तथा अवैध कब्जा करने पर आमदा है जिस पर प्रार्थी हल्का पटवारी से मौके पर चलकर सीमा कायम करने की कही तो उनके द्वारा पत्थरगढी का आदेश लाने की कही इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।वाद कारण शुरू से उत्पन्न होकर तथा दिनांक 01.09.2021 को अवैध कब्जा करने के लिए आमादा होने पर निरन्तर जारी है एवं दिनांक 26.06. 2021 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रार्थी अपनी आराजी के डोल लगाने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को अपनी आराजी में डोल नहीं लगाने दी व प्रार्थी की आराजी में अप्रार्थीगण ने दिनांक 01.09.2021 को अवैध कब्जा करने का प्रयास किया व निरन्तर अवैध कब्जा करने पर आमादा है इसलिए यह प्रार्थना पत्र बिना किसी विलम्ब के पेश है। प्रार्थना पत्र को सुनने व निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 लगायत 27, 29 लगायत 35 के विरूद्ध दिनांक 31.05.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 28 आज दिनांक तक हाजिर अदालत नहीं हुए इसलिए अप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 28 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

अप्रार्थी सं0 18 की तरफ से वकील श्री सीताराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया। तथा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी सं. 18 ने अपने जवाब के तथ्यों में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए बताया कि उक्त आराजीयात का तकासमा पूर्व खातेदारों की सहमति से होकर तरमीम हुई है लेकिन अभी हाल ही में गलत तरमीम होने से बिना किसी विधिवत आदेश के ही प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर गलत तरमीम करवा ली। प्रार्थी ने गलत तरमीम के आधार पर ही दिनांक 26.06.2021 को बिना अप्रार्थी सं. 18 को सूचना दिये ही एवं बिना सहमति के ही एकतरफा सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

तहसीलदार फागी से सीमाज्ञान करवाया है जो प्रार्थी ने अपनी मनमर्जी से करवाया है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2021 के आधार पर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है परन्तु वादग्रस्त आराजी की गलत तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान ही पक्षकारों की मौजूदगी व बिना सहमति के किया गया है तो अकेले प्रार्थी को पत्थरगढ़ी करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने रेवेन्यू टीम से मिलीभगत कर बिना पक्षकारों को सूचना दिये ही एवं बिना सुनवाई किये ही उक्त आराजी का सीमाज्ञान गलत कर दिया है जो विधि विरूद्ध है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होने व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथम स्तर पर ही काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम भोजपुरा खाता सं0 392 के ख0न0 106/1, 107/1, 594/2, 598 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 02 मे अंकन किया है कि ख0न0 106/1, 107/1, 594/2, 598 में प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2021 को विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 26.06.2021 को सीमाज्ञान हो चुका है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 106/1, 107/1, 594/2, 598 भूमि वाके ग्राम भोजपुरा तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर